कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक 3020 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 16/06/2022.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
विद्युत प्रेषण खण्ड,
उ0प्र0, पावर ट्रांशमिशन, कारपोरेशन लि0, गाजीपुर
पता–220 के0वी0 सब स्टेशन, तलवल, गाजीपुर, उ0प्र0।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के ओबरा वन प्रभाग में 400 के0वी0 ओबरा ली0लो0 विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित 7.5118हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के लीज नवीनीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक–1672/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–06.01.2022 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–3275/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/ट्रांस/44753/2020 दिनांक–02.05.2022.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक–1672/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–06.01.2022 द्वारा उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा निम्नलिखित आपत्ति लगायी गयी हैः–

1. प्रस्ताव में संलग्न संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र में लीज समाप्त होने की तिथि गलत अंकित की गयी है। अतः सही तिथि अंकित कर संशोधित संयुक्त निरीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
2. प्रस्ताव में संलग्न स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि प्रकरण में लीज अवधि दिनांक–01.10.2019 को समाप्त हो चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिनांक–01.10.2019 के पश्चात भी वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया गया है। अतः उल्लंघन के सम्बन्ध में सही स्थिति का उल्लेख करते हुए संशोधित स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन अपलोड करें।
3. प्रस्ताव में इस कार्यालय के पत्रांक–343/11–सी दिनांक–14.08.2020 के कम में प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी/मुख्य वन संरक्षक का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
4. प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक–1428/11–सी दिनांक–16.12.2020 के कम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का डी0एस0एस0 एनालिसिस से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
5. प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दूगने अवनत वन भूमि का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।
6. प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीचे बौने (औसधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।
7. क्षतिपूकरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित जियो रिफरेन्सड डिजिटल मैप प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।

8. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन टोपोशीट प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।
9. क्षतिपूकरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।
10. प्रस्ताव में संलग्न किया गया एन0पी0वी0 की गणना भारत सरकार नई दिल्ली की पत्र दिनांक–06.01.2022 के द्वारा संशोधित दर के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित दर के अनुसार एन0पी0वी0 की गणना प्रस्ताव में संलग्न कर आन लाईन भाग 2 में अपलोड करें तथा पूर्व का एडिशनल इन्फार्मेशन डिटेल से डिलिट करें।
11. प्रस्ताव में सेंन्चुरी/वन्य जीव विहार से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है किन्तु कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर का इको सेन्सिटिव जोन का गजट संलग्न नहीं किया गया है।
12. आन लाईन भाग 2 के कमांक 5 में गलत डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करें।
13. उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव का पूर्ण पी0डी0एफ0 फाईल जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्थल की के0एम0एल0 फाईल भी हो, पेन ड्राईव में अपलोड कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए, संशोधित लीज नवीनीकरण का प्रस्ताव इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या– अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।